प्रेस नोट दिनांक 29.05.2025 जनपद प्रतापगढ़

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ

अवैध तमंचा /कारतूस के साथ 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना लालगंज पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार

गिरफ्तार अभियुक्त सूरज गुप्ता उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा नजायज 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद

थाना लालगंज पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत बछवल पुलिया ग्राम बछवल पास से 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी श्री रामसूरत सोनकर के कुशल पर्वेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना लालगंज नीरज कुमार यादव के नेत्तृत्व में थाना लालगंज के उ0नि0 विवेक यादव मय हमराह हे0का0 जाहिद हुसैन, का0 नितीश कुमार, का0 सुमित कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, चेकिंग के दौरान, मु ुखबिर की सूचना पर 01 अभियुक्त सूरज गुप्ता पुत्र लालता प्रसाद नि०ग्राम पूरे मितई, वभनपुर, थाना नसीराबाद, जनपद रायबरेली उम्र करीब 25 वर्ष को 01 अदद तमंचा नजायज 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत बछवल पुलिया ग्राम बछवल के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा नजायज 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद किया गया। उक्त बरामदगी/ गिरफ्तारी के आधार पर थाना लालगंज पर मु0अ0सं0 198/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सूरज गुप्ता पुत्र लालता प्रसाद नि०ग्राम पूरे मितई, वभनपुर, थाना नसीराबाद, जनपद रायबरेली उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी- अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा नजायज 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

उ0नि0 विवेक यादव मय हमराह हे0का0 जाहिद हुसैन, का0 नितीश कुमार, का0 सुमित कुमार थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

बीट मुख्य आरक्षी भानु प्रताप सिंह व बीट आरक्षी ज्वाला सिंह की सतर्कता से 01 गैंगस्टर अभियुक्त को किया गिरफ्तार

थाना आसपुर देवसरा के बीट मुख्य आरक्षी भानु प्रताप सिंह व बीट आरक्षी ज्वाला सिंह ने गैंगस्टर अभियुक्त पर कसा शिकंजा

बीट मुख्य आरक्षी भानु प्रताप सिंह व बीट आरक्षी ज्वाला सिंह ने साये की तरह बिछाए रखी अपनी पैनी नजर

एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये थाना आसपुर देवसरा के बीट मुख्य आरक्षी भानु प्रताप सिंह व बीट आरक्षी ज्वाला सिंह को दिया जाएगा ईनाम व प्रशस्ति-पत्र

थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जमालपुर के पास से गैंगस्टर एक्ट के 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार गैंगस्टर अभियुक्त हत्या, आर्म्स एक्ट, मारपीट, धमकी, गैंगस्टर एक्ट जैसे संगीन अपराधों में अभ्यस्त

जनपद में अपराध नियंत्रण/ संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है-

इसी क्रम में बहादुर बीट मुख्य आरक्षी भानु प्रताप सिंह व बीट आरक्षी ज्वाला सिंह के सहयोग से थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 144/25 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना आसपुर देवसरा, प्रतापगढ़ में वांछित 02 अभियुक्तों, 01. अतुल यादव पुत्र राधेश्याम यादव निवासी ग्राम नचरौला थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष, 02. आयुष यादव पुत्र विजय चन्द्र यादव निवासी ग्राम नचरौला थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष को थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जमालपुर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01- अतुल यादव पुत्र राधेश्याम यादव नि. नचरौला थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0- 94/2022 धारा 323,504,506 भादवि 3(1)घ,3(1)ध, 3(2)5ए एससी/एसटी एक्ट थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

02. मु0अ0सं0- 386/2023 धारा 147,148,149,302,201,34 भादवि धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना आसपुर देवसरा प्रतापगढ़।

03. मु0अ0सं0 49/2025 धारा 115(2),351(3),352,321(1) बीएनएस थाना आसपुर देवसरा प्रतापगढ़।

02- आयुष यादव पुत्र विजयचन्द्र यादव निवासी नचरौला थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0- 386/2023 धारा 147,148,149,302,201,34 भादवि धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना आसपुर देवसरा प्रतापगढ़।

थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ।

थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा सक्रिय 04 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर का अभियोग किया गया पंजीकृत-

एसपी प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध नियंत्रण पर थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा 04 अभियुक्तों के विरुद्ध की गई गैंगस्टर की कार्यवाही-

थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा हत्या, आर्म्स एक्ट, मारपीट जैसे संगीन अपराध कारित करने वाले कुल 04 अभियुक्तों के विरुद्ध की गई गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही-

प्रतापगढ़।

श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, प्रयागराज जोन प्रयागराज डॉ0 श्री संजीव गुप्ता व पुलिस महानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज श्री अजय कुमार मिश्र के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अभ्यस्त अपराधियों के विरूद्ध अभियान चलाया जा रहा है।

थाना आसपुर देवसरा-

अपर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में थाना प्रभारी आसपुर देवसरा श्री धीरेन्द्र ठाकुर के नेतृत्व में दिनांक 29.05.2025 को सक्रिय एक आपराधिक संगठित गिरोह के गैंगलीडर 01. सचिन यादव पुत्र राम अचल यादव नि. नचरौला थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़, सदस्य 2. अतुल यादव पुत्र राधेश्याम यादव नि. नचरौला थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़, 3. शुभम यादव पुत्र मुनिराज यादव नि. नचरौला थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़, 4. आयुष यादव पुत्र विजयचन्द्र यादव निवासी नचरौला थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ के विरूद्ध थाना आसपुर देवसरा में मु0अ0सं0 144/25 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्त अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर संगठित तरीके से हत्या, आर्म्स एक्ट मारपीट, धमकी के अपराधों को कारित किया है।

इस गैंग द्वारा दिनांक 21.11.2023 को राजकुमार यादव पुत्र स्व0 रामबरन यादव को खेत में बोझ बाँधने के समय धारदार हथियार से सर व गले पर मार कर हत्या कर दी गई थी। जिसके संबंध में थाना आसपुर देवसरा में मु0अ0सं0 386/23 धारा 147/148/149/302/201/34 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

01- गैंगलीडर सचिन यादव पुत्र रामअचल यादव निवासी ग्राम नचरौला थाना आसपुर देवसरा, प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0- 94/2022 धारा 323,504,506 भादवि 3(1)घ,3(1)ध, 3(2)5ए एससी/एसटी एक्ट थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

02. मु0अ0सं0- 386/2023 धारा 147,148,149,302,201,34 भादवि धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना आसपुर देवसरा प्रतापगढ़।

03. मु0अ0सं0 173/2021 धारा 323,504,506 भादवि आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

02- सदस्य शुभम यादव पुत्र मुनिराज यादव नि. नचरौला थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0- 94/2022 धारा 323,504,506 भादवि 3(1)घ,3(1)ध, 3(2)5ए एससी/एसटी एक्ट थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

02. मु0अ0सं0- 386/2023 धारा 147,148,149,302,201,34 भादवि धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना आसपुर देवसरा प्रतापगढ़।

03- सदस्य आयुष यादव पुत्र विजयचन्द्र यादव निवासी नचरौला थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0- 386/2023 धारा 147,148,149,302,201,34 भादवि धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना आसपुर देवसरा प्रतापगढ़।

04- सदस्य अतुल यादव पुत्र राधेश्याम यादव नि. नचरौला थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0- 94/2022 धारा 323,504,506 भादवि 3(1)घ,3(1)ध, 3(2)5ए एससी/एसटी एक्ट थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

02. मु0अ0सं0- 386/2023 धारा 147,148,149,302,201,34 भादवि धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना आसपुर देवसरा प्रतापगढ़।

03. मु0अ0सं0 49/2025 धारा 115(2),351(3),352,321(1) बीएनएस थाना आसपुर देवसरा प्रतापगढ़।

थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ

बीट आरक्षी भीम राव की सतर्कता से 01 गैंगस्टर अभियुक्त को 04 अदद देशी बम के साथ किया गिरफ्तार

थाना मानिकपुर के बीट आरक्षी भीम राव ने गैंगस्टर अभियुक्त पर कसा शिकंजा

बीट आरक्षी भीमराव ने साये की तरह बिछाए रखी अपनी पैनी नजर

एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये थाना मानिकपुर के बीट आरक्षी भीम राव को दिया जाएगा ईनाम व प्रशस्ति-पत्र

थाना मानिकपुर द्वारा क्षेत्रान्तर्गत सतभइयन मजार के पास से ग्राम भवनपुर से 04 अदद देशी बम के साथ गैंगस्टर एक्ट के 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार गैंगस्टर अभियुक्त चोरी, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधि0, जुआ अधि, गैंगस्टर एक्ट जैसे लगभग 01 दर्जन संगीन अपराधों में अभ्यस्त

जनपद में अपराध नियंत्रण/ संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है-

इसी क्रम में बहादुर बीट आरक्षी भीमराव के सहयोग से थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 66/25 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना संग्रामगढ़, प्रतापगढ़ में वांछित 01 अभियुक्त बिलाल अहमद पुत्र आफताब अहमद निवासी पूरे अली नकी थाना मानिकपुर प्रतापगढ़ को 04 अदद देशी बम के साथ थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत सतभइयन मजार के पास से ग्राम भवनपुर से गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 98/25 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अभियुक्त बिलाल अहमद पुत्र आफताब अहमद निवासी पूरे अली नकी थाना मानिकपुर प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 149/2019 धारा 379/411 भादवि थाना मानिकपुर, प्रतापगढ़।

2. मु0अ0स0 201/2019 धारा 379/411 भादवि थाना मानिकपुर, प्रतापगढ़।

3. मु0अ0स0 116/2020 धारा 379/411 भादवि थाना मानिकपुर, प्रतापगढ़।

4. मु0अ0स0 158/2020 धारा 2/3 उ.प्र. गैंगेस्टर एक्ट थाना मानिकपुर, प्रतापगढ़।

5. मु0अ0स0 104/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मानिकपुर, प्रतापगढ़।

6. मु0अ0स0 335/2023 धारा 13 जुआ अधि. थाना मानिकपुर, प्रतापगढ।

7. मु0अ0स0 134/24 धारा 305-ए बीएनएस थाना मानिकपुर, प्रतापगढ।

8. मु0अ0स0 169/24 धारा 303(2)/317(2)/317(4) बीएनएस थाना संग्रामगढ, प्रतापगढ।

9. मु0अ0स0 170/24 धारा 305/331(4)/317(2)/317(4) बीएनएस थाना संग्रामगढ, प्रतापगढ।

10. मु0अ0स0 154/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नबाबगंज, प्रतापगढ।

11. मु0अ0स0 67/25 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना संग्रामगढ, प्रतापगढ।

12. मु0अ0स0 98/25 धारा 4/5 विस्फोटक अधि0 थाना मानिकपुर, प्रतापगढ़।

थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

अपहरण के अभियोग से संबंधित वांछित 02 अभियुक्तो गिरफ्तार

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र के मिरगढवा तिराहा के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा क्षेत्राधिकारी अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्यवेक्षण में थाना मानिकपुर प्रभारी निरीक्षक श्री दीप नारायण के नेतृत्व उ0नि0 मो0 नदीम खान मय हमराह का0 मगन शर्मा व का0 शिवशंकर यादव व का0 संजीव कुमार द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना मानिकपुर में पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत मु0अ0सं0 94/25 धारा 137(2)/87/61(2) बी0एन0एस0 से संबंधित वांछित अभियुक्त 1. पवन विश्वकर्मा पुत्र स्व0 महाराजदीन विश्वकर्मा निवासी जिरगापुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष, 2. संदीप मौर्य उर्फ हनुमान पुत्र देवता दीन मौर्य निवासी भोला का पुरवा थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष को थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत मिरगढवा तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. पवन विश्वकर्मा पुत्र स्व0 महाराजदीन विश्वकर्मा निवासी जिरगापुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष।

2. संदीप मौर्य उर्फ हनुमान पुत्र देवता दीन मौर्य निवासी भोला का पुरवा थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष।

पुलिस टीम-

उ0नि0 मो0 नदीम खान मय हमराह का0 मगन शर्मा व का0 शिवशंकर यादव व का0 संजीव कुमार थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़

01 चोरी की मोटर साइकिल के साथ 01 शातिर अभियुक्त थाना कोतवाली नगर पुलिस की गिरफ्त में-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन जारी

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र के जीआईसी कालेज के पीछे से अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26/27.04.2025 की रात्रि को वादी की Bike (R15) यमहा को किसी अज्ञात व्यक्ति ने बाइक चोरी कर लिया। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 188/25 अंतर्गत धारा 303 (2) BNS का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रियाकलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिवनारायण वैस के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर जयचन्द्र भारती के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर के उ0नि0 सुनील कुमार गुप्ता मय हमराह कां० अभिषेक कुमार यादव व का० शिवम द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 188/25 अंतर्गत धारा 303(2) BNS से संबंधित 01 अभियुक्त रवि प्रकाश सिंह पुत्र रामकुमार सिंह निवासी अजीत नगर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 27 वर्ष को चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल के साथ थानाक्षेत्र कोतवाली नगर जीआईसी कालेज के पीछे से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त के कब्जे से 01 चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी के संबंध में उक्त अभियोग में धारा 317 (2) / 318 (4) BNS की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

रवि प्रकाश सिंह पुत्र रामकुमार सिंह निवासी अजीत नगर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 27 वर्ष।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ पर अभियुक्त ने बताया कि मैंने यह मोटर साइकिल जिला अस्पताल परिसर के एस आर हॉस्टल प्रतापगढ़ से एक महीना पूर्व चुराया था। जिसका नंबर प्लेट निकाल कर फेंक दिया था। आज बेचने के फिराक में था। हम .मोटर साइकिल चोरी व छोटे-मोटे अपराध करके अपना खर्च चलता हूँ।

बरामदगी का विवरण-

चोरी की 01 अदद मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 सुनील कुमार गुप्ता मय हमराह कां० अभिषेक कुमार यादव व कां० शिवम थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना जेठवारा पुलिस द्वारा अभियुक्त को अभियुक्त के घर के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी जेठवारा श्री धर्मेन्द्र सिंह के नेतृत्व उ0नि0 बंशीधर राय मैं हमराह का0 मनोज यादव का0 आशुतोष चौबे द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 376(3) भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त 01.शिवाकान्त पटेल पुत्र शम्भू नाथ पटेल निवासी ग्राम खटवारा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष को अभियुक्त के घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

शिवाकान्त पटेल पुत्र शम्भू नाथ पटेल निवासी ग्राम खटवारा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष।

पुलिस टीम-

उ0नि0 बंशीधर राय मैं हमराह का0 मनोज यादव का0 आशुतोष चौबे थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ।

अपराध का अंजाम हमेशा बुरा होता है

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त/ अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी को लिया गया पुलिस अभिरक्षा में

गैरकानूनी कार्य करोगे तो कड़ी कार्यवाही होगी जरूर

दिनांक 28.05.2025 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सगरा में अवैध अतिक्रमण हटाने गये नगर पालिका टीम व स्थानीय पुलिस टीम के साथ अभद्रता, गाली-गलौज कर हमलावर होने व सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के प्रकरण में 01 अभियुक्त, 01 अभियुक्ता गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी को नियमानुसार पुलिस अभिरक्षा मे लिया गया-

थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सगरा के पास से अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक- 28.05.2025 को थाना कोतवाली नगर को ग्राम सगरा अपरोच मार्ग पर नगर पालिका टीम द्वारा नाली का निर्माण कार्य कराने के दौरान बीच में आरोपीगण के पड़ने वाले अवैध अतिक्रमण (चबूतरा) को हटाने के दौरान नगर पालिका टीम व स्थानीय पुलिस के साथ अभद्रता एवं गाली गलौज कर सरकारी कार्य में व्यवधान

डालते हुए हमलावर हो गये। अतिरिक्त पुलिस बल बुलाने पर उनके साथ अभद्रता, गाली-गलौज देते हुए हमला किया गया। जिसके संबंध में थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 0230/2025 धारा 121(1), 132, 221, 115(2), 351(2), 352, 329(3), 109 बीएनएस बनाम 03 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिवनारायण वैस के मार्गदर्शन/पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री जयचंद भारती के नेतृत्व में,

उ0नि0 अनुपम त्रिपाठी मय हमराह का रंजीत, का० शैलेश, म0कां0 बीनू यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन, पेंडिंग विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत मु0अ0सं0 0230/2025 धारा 121(1), 132, 221, 115(2), 351(2), 352, 329(3), 109 बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तगण 01. उत्कर्ष पाल उर्फ विकास पाल पुत्र चन्द्र मोहन पाल उर्फ नाना पाल निवासी सगरा थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ 02. अभियुक्ता को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत सगरा के पास गिरफ्तार किया गया है तथा 01 बाल अपचारी को नियमानुसार पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

01. उत्कर्ष पाल उर्फ विकास पाल पुत्र चन्द्र मोहन पाल उर्फ नाना पाल निवासी सगरा थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

02. 01 अभियुक्ता।

03. 01 बाल अपचारी।

पुलिस टीम- उ0नि0 अनुपम त्रिपाठी मय हमराह का रंजीत, का० शैलेश, म0कां0 बीनू यादव थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

बयान- अपराध एवं अपराधियों को विरुद्ध जीरो टॉयलेंस नीति के तहत प्रतापगढ़ पुलिस की प्रभावी कार्यवाही जारी है। लोकसेवक के साथ अभद्रता/दुर्व्यवहार करने एवं सरकारी कार्य में बाँधा डालने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के लिए प्रतापगढ़ पुलिस कटिबद्ध है। बड़े बुजुर्गों को चाहिए कि वह अपने बच्चों को गलत रास्ते पर चलने से रोकें एवं नागरिक नियमों का पालन करें। अपराध का अंजाम हमेशा बुरा होता है और ऐसे अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।

थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ

ई रिक्शा की बैटरियों को चोरी करने वाले 01 शातिर अभियुक्त थाना कोतवाली नगर पुलिस की गिरफ्त में-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन जारी

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा लोकेशन के आधार पर जनपद अमेठी के अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

चोरी की घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया इनोवा वाहन व चोरी के हिस्से के बचे रु0-500/- बरामद।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रियाकलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल के मार्ग दर्शन व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैस द्वारा अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम/ अंकुश लगाने हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री जयचन्द भारती के नेतृत्व में उ0नि0 लक्ष्मीकान्त शर्मा मय हमराह कां० मलखान व कां० विमल द्वारा तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत मु0अ0सं0 636/24 धारा 303(2), 317 (2) बीएनएस से संबंधित प्रकाश में आये अभियुक्त रवि कुमार गुप्ता उर्फ दीपक पुत्र मालिक राम गुप्ता निवासी जंगल टिकरी थाना गौरीगंज जनपद अमेठी को लोकेशन के आधार पर संजय कुमार चौहान के गैरेज के सामने मुंशी बाजार थाना जनपद अमेठी से ई रिक्शा से बैटरियों को चोरी करने की घटना में प्रयुक्त 01 कार इनोवा रंग सफेद व रु0-500/- के साथ गिरफ्तार किया गया।

उक्त गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 317(2) बी0एन0एस0 का बढ़ोत्तरी की गई। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं अपने इनोवा कार से साथियों के साथ मिलकर दिनांक 10.11.2024 की रात्रि मोहल्ला अचलपुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ में खड़े इस रिक्शा से बैटरियां चुराई थी। उस 03 बैटरीज को मेरे साथी ने कहीं बेच दिया था जिसकी मुझे जानकारी नहीं है। मुझे अपने हिस्से के तथा मेरे वाहन के भाड़े के रुपए 6500/- मिले थे। वह सब खर्च हो गए हैं बताया कि मैं अपने चोरी हिस्से में मिले कुछ रूपयो को अपनी इसी इनोवा गाड़ी में सीट के नीचे फटी सीट के अस्तर में छुपा देता था जिससे वाहन की छोटी-मोटी टूट-फूट की मरम्मत हो सके। अभियुक्त उपरोक्त से तलाश कराने पर वाहन की सीट के नीचे फटे अस्तर में से रुपए 500 निकाल कर दिखाया तथा बताया कि यह उसी चोरी के हिस्से में बचे रुपए है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- रवि कुमार गुप्ता उर्फ दीपक पुत्र मालिक राम गुप्ता निवासी जंगल टिकरी थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।

बरामदगी का विवरण- चोरी की घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया इनोवा वाहन व चोरी के हिस्से के बचे रु0-500/- बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 लक्ष्मीकान्त शर्मा मय हमराह कां० मलखान व कां० विमल थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ

लूट करने वाले शातिर अभियुक्त से थाना हथिगवां पुलिस द्वारा लूट के 02 फिंगर बायोमैट्रिक प्रिन्ट डिवाइस, 01 बैग किया गया बरामद,

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन जारी

थाना हथिगवां क्षेत्रान्तर्गत ग्राम समसपुर बहरिया एन. एच. 2 हाइवे के किनारे सरपत व झांड झंखाड़ से किया गया बरामद।

अभियोग से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

घटना का विवरण-

वादी मोटर साइकिल से घर जा रहा था। आरोपीगणों द्वारा वादी से गाँव शुकुलपुर के पास पैसे व मोबाइल लूट कर फरार हो गये थे। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना हथिगवां में मु0अ0सं0 261/2024 धारा 309(4) बी. एन. एस बनाम नाम पता अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रियाकलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय के मार्ग दर्शन व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता द्वारा अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम/ अंकुश लगाने हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में थाना हथिगवां प्रभारी निरीक्षक श्री नन्दलाल सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 अजय कुमार, का0 विपिन सारस्वत द्वारा थाना हथिगवां से संबंधित मु0अ0सं0 261/2024 धारा 309(4) बी. एन. एस में वांछित अभियुक्त अनिकेत यादव पुत्र अमरसिंह यादव निवासी ग्राम कैथवल जगतपुर थाना उतरांव जनपद प्रयागराज को पुलिस रिमाण्ड के दौरान मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त की निशांदेही पर थाना हथिगवां क्षेत्रान्तर्गत ग्राम समसपुर बहरिया एन. एच. 2 हाइवे के किनारे सरपत व झांड झंखाड़ से लूट के 02 फिंगर बायोमैट्रिक प्रिन्ट डिवाइस, 01 बैग बरामद किया गया।

उक्त बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 317(2), 61(2) बीएनएस0 की बढोत्तरी की गई।

पूछताछ विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 16.12.2024 को अपने साथियों के साथ मिलकर पूर्व नियोजित योजना के अनुसार लूट करने के बाद सफेद अपाचे मोटरसाइकिल से हाइवे की तरफ भागे थे। मै मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा था, घटनास्थल शुकुलपुर से करीब 3 से 4 किमी0 आगे प्रयागराज की तरफ जाने पर मैने लूट के बैग में से पैसा और टैबलेट निकालकर पैसा अपने पास रख लिया, और टैबलेट आफ करके एन. एच. 2 हाइवे के किनारे फेक दिया। लूट का बैग जिसमें दो फिंगर प्रिंट बायोमैट्रिक मशीन थी उसको और तमंचा को भी रास्ते में ही एन. एच. 2 हाइवे के किनारे सरपत, झांड़ झंखाड़ में फेक दिया है,। यही वह बैग है जिसे मैने लूट करने के बाद यही फेक दिया था, बैग की चैन खोलकर देखा गया तो उसमें लूट के दो अदद् फिंगरप्रिंट बायोमैट्रिक मशीन रंग लाल काला दोनो में काले रंग का डाटा केबल लगी हुयी बरामद हुयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- अनिकेत यादव पुत्र अमरसिंह यादव निवासी ग्राम कैथवल जगतपुर थाना उतरांव जनपद प्रयागराज।

बरामदगी- लूट के 02 फिंगर बायोमैट्रिक प्रिन्ट डिवाइस, 01 बैग किया गया बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-उ0नि0 अजय कुमार, का0 विपिन सारस्वत थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।